न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 07/2024 **FSSA**

1. सरकार जरिये श्री प्रकाश चन्द सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री श्याम लाल
एफबीओ मैसर्सः—श्याम लाल अशोक कुमार, डाक बंगले के सामने, मण्डावर जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गतएफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 18.09.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रकाश चन्द सैनी ने दिनांक 09.07.2023 को दोपहर बाद 01:40 बजे मैसर्सः—श्याम लाल, अशोक कुमार, डाक बंगले के सामने, मण्डावर जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री अशोक कुमार पुत्र श्री श्याम लाल उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया। जिसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में एक काउन्टर में एल्यूमिनियम की ट्रे में करीबन 5 किग्रा बेसन के लड्डू वनस्पति घी से निर्मित **(Besan Ke Laddu)** आम जनता को बेचने के लिये रखे हुये थे। जिसमें मिलावट का शक होने पर एक एल्यूमिनियम की ट्रे में से 2 किग्रा बेसन के लड्डू वनस्पति घी से निर्मित **(Besan Ke Laddu)** नमूने की जांच हेतु खरीदे। जिसे विक्रेता ने एक साफ सूखे एवं खाली कागज के डिब्बे में तौलकर दिये। जिसकी कीमत 280 रूपये विक्रेता श्री अशोक कुमार पुत्र श्री श्याम लाल को नकद देकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता से बिल प्राप्त किया।

आवण्ेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा बेसन के लड्डू वनस्पति घी से निर्मित **(Besan Ke Laddu)** को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की बोतलो में बराबर—बराबर मात्रा में डालकर फार्मलिन की 40—40 बून्दे डालकर एयरटाइट ढक्कन से बन्द किया व लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलों पर चिपकाकर बोतलों को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेटकर बोतलों पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर **AG**—3632 उपर से नीचे पूरे राउंड में गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार—चार जगह से उपर नीचे दोनो साइडों में चपडी से सील मोहर कर बोतलों पर एफ.बी.ओ. (विक्रेता) श्री अशोक कुमार पुत्र श्री श्याम लाल के हस्ताक्षर करवाकर गवाहान व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द बोतलो को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:27:44 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं. 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 10.07.2023 को खाद्य प्रयोगशाला अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू वनस्पति घी से निर्मित **(Besan Ke Laddu)** के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1246/एक्ट/2023/1268 दिनांक 21.07.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। नमूना अमानक **(Substandard)** स्तर का पाये जाने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं न्यायालय में उपस्थित आया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1246/एक्ट/2023/1268 दिनांक 21.07.2023 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू वनस्पति घी से निर्मित **(Besan Ke Laddu)** वनस्पति घी का उपयोग करके बनाया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ की जाचं रिपोर्ट में **Baudouin test for vanaspati "Negative"** पाया गया है, जो कि तय मानको के अनुसार **'Positive'** होना चाहिये था। उक्त खाद्य पदार्थ को बनाने के लिये उपयोग में लिया गया वसायुक्त पदार्थ वनस्पति घी शुद्धता मानको के अनुरूप नहीं होने के कारण यह खाद्य पदार्थ जांच रिपोर्ट में अमानक **(Substandard)** स्तर का घोषित किया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू वनस्पति घी से निर्मित **(Besan Ke Laddu)** का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 (2)**II**) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि हमारी दुकान से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बेसन के लड्डु का सैम्पल लिया गया था, जो जांच रिपोर्ट में सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। यह खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डु हमारे द्वारा वनस्पति घी का उपयोग करके बनाये गये थे। वनस्पति घी अथवा उक्त खाद्य पदार्थ में हमारे द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। वनस्पति घी की क्वालिटी खराब होने के कारण हो सकता हैं यह खाद्य पदार्थ सबस्टैण्डर्ड स्तर का आ गया हो। हमारे द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं की जावेगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हमारे विरूद्ध प्रस्तुत किये गये परिवाद में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर परिवाद का निस्तारण फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:27:44 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1246/एक्ट/2023/1268 दिनांक 21.07.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू वनस्पति घी से निर्मित **(Besan Ke Laddu)** का नमूना जांच रिपोर्ट में अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू वनस्पति घी से निर्मित **(Besan Ke Laddu)** का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 (2)(**II**) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 51 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ बेसन के लड्डू वनस्पति घी से निर्मित **(Besan Ke Laddu)** का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री अशोक कुमार पुत्र श्री श्याम लाल एफबीओ मेसर्सः—श्याम लाल, अशोक कुमार, डाक बंगले के सामने मण्डावर जिला दौसा पर 2,50,000/— (अक्षरे दो लाख पचास हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 18.09.2024 के एक माह के अन्दर—अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)**के मद 0210—04—800—03—00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/**FSSA**/ 2024/ दिनांकः— .09.2024

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री श्याम लाल
   एफबीओ मैसर्सः—श्याम लाल अशोक कुमार, डाक बंगले के सामने, मण्डावर जिला दौसा।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:27:44 IST
Reason: SelfAttested